बहुउद्देशीय मात्स्यिकी सहकारी समितियों (M-FCS) के लिए आदर्श उपविधियां

एन एफ डी बी
NFDB

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड
मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार
हैदराबाद

मार्च, 2025

अध्याय-I

सहकारी समिति की पहचान

1. नाम : ________________ बहुउद्देशीय मात्स्यिकी सहकारी समिति लि.

2. पता : समिति का पंजीकृत डाक पता
(समिति की अवस्थिति), दूरभाष एवं ईमेल पता

3. कार्यक्षेत्र : समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित राजस्व ग्राम / पंचायतें होंगी;

i) ___________

ii) ___________

iii) ___________

iv) ___________

4. परिभाषाएं:

(4.1) **"अधिनियम"** से वह सहकारी सोसाइटी अधिनियम अभिप्रेत है जिसके अधीन उक्त समिति पंजीकृत है;

(4.2) **"कृषि"** से खेती और संबंधित कार्यकलाप अभिप्रेत हैं;

(4.3) **"जलीय कृषि (Aquaculture)"** से मीठे पानी, खारे पानी या समुद्र में मत्स्य, घोंघा (molluscs), क्रस्टेशियन और जलीय पौधे सहित जलीय जीव की कृषि अभिप्रेत हैं;

(4.4) **"कार्यक्षेत्र"** से वह भौगोलिक क्षेत्र (राजस्व ग्राम/पंचायत) अभिप्रेत है जहां से समिति को उपविधियों के विनिर्देशानुसार अपना सदस्य बनाने का प्राधिकार है;

(4.5) **"शीर्ष समिति"** से वह पंजीकृत समिति अभिप्रेत है जिसका कार्यक्षेत्र में संपूर्ण राज्य हो और जिसके सदस्य के रूप में केवल समान उद्देश्य वाली अन्य समितियां हों जिसकी घोषणा पंजीयक द्वारा की गई हो;

(4.6) **"संपरीक्षक"** से समिति के लेखाकर्मों का संपरीक्षण करने के लिए अधिनियम में यथापरिभाषित सहकारी समितियों के पंजीयक अथवा समिति द्वारा नियुक्त प्रमाणित संपरीक्षक अभिप्रेत है;

(4.7) **"निदेशक मंडल"** से अभिप्रेत समिति की प्रबंधन समिति या शासी निकाय है, चाहे उसे जिस किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसका गठन अधिनियम के अनुरूप हुआ हो और जिसे समिति के कारबार का निदेशन, नियंत्रण और प्रबंधन सौंपा गया हो;

(4.8) **"शाखाएं"** से समिति की शाखाएं अभिप्रेत है;

(4.9) **"उपविधियां"** से सहकारी समिति की तत्समय लागू पंजीकृत उपविधियां अभिप्रेत है जिसमें उनका संशोधन भी शामिल है;

(4.10) **"केंद्रीय समिति"** से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका क्षेत्राधिकार एक या एक से अधिक राजस्व जिले से है परंतु उसके कार्यक्षेत्र में संपूर्ण राज्य नहीं है तथा उसके सदस्य के रूप में केवल ऐसी अन्य समितियां हैं जिसकी घोषणा पंजीयक या सरकार द्वारा की गई हो;

(4.11) **"मुख्य कार्यकारी अधिकारी" (CEO)** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे समिति के कार्यकारी प्रधान के रूप में निदेशक मंडल द्वारा मुख्य कार्यपालक, प्रबंध निदेशक अथवा सचिव, आदि जैसे किसी भी पदनाम से बोर्ड के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेशन के अध्यधीन, कारबार और दैनंदिन प्रचालनों/ कार्यकलापों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया है;

(4.12) **"सहकारी अधिकरण"** से संबंधित अधिनियम के अधीन संस्थित सहकारी अधिकरण अभिप्रेत है;

(4.13) **"समिति"** से किसी सहकारी समिति का शासी निकाय अभिप्रेत है चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिस पर समिति के कारबार का प्रबंधन सौंपा गया हैं;

(4.14) **"वस्तुएं"** से ताजा/कच्चा, जीवित, प्रशीतीत, प्रसंस्कृत और मूल्य वर्धित मत्स्य, सीवीड समुद्री सिवार (seaweeds) उत्पाद और अन्य मात्स्यिकी उत्पाद अभिप्रेत है;

(4.15) "**प्रतिनिधि**" से वह सदस्य अभिप्रेत हैं जिसे समिति द्वारा किसी परिसंघ अथवा अन्य संगठन में समिति की अभिरुचि के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है;

(4.16) **"निदेशक"** से निदेशक मंडल का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है चाहे उसे जिस भी नाम से पुकारा जाए, जिसे अधिनियम, नियमों या उपविधियों द्वारा विधिवत निर्वाचित अथवा अभिहित अथवा सह-योजित किया गया है;

(4.17) **"निर्वाचन आयोग"** से किसी प्रसंग के संदर्भ में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में सहकारी निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(4.18) **"कर्मी"** से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें समिति की के दैनंदिन कार्यों को चलाने के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया है;

(4.19) **"मात्स्यिकी"** से मछली पकड़ना, उनका संरक्षण व प्रबंधन सहित मत्स्य पालन और उससे संबंधित कार्यकलाप अभिप्रेत हैं;

(4.20) **"मत्स्य पालन"** से विभिनन विभिन्न मात्स्यिकी तकनीकों का प्रयोग करके प्राकृतिक अथवा मानवनिर्मित्त परिवेश/ जलाशयों (मीठे जल, खारे जल अथवा समुद्री) जैसे समुद्र, नदियां, झीलों, तालाबों, नहरों, आद्रभूमि, जलाशयों, आदि से मछली पकड़ने जैसे कार्यकलाप अभिप्रेत हैं;

(4.21) **"मछुआरा"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अंतरदेशीय जलाशयों, खारे जलाशयों और समुद्र में मछली पकड़ने और/या जलीय कृषि की आर्थिक और/या आजीविका के कृत्यों में सक्रिय रूप से जुड़े जुड़ा है; मछुआरों में मत्स्य कामगार, मत्स्य किसान या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मत्स्य पालन और मात्स्यिकी संबंधी सहायक कार्यकलापों सहयोगी गतिविधियों से जुड़े हैं ।

(4.22) **"किसान"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो जलीय कृषि और/या अन्य प्राथमिक कृषि सामग्रियों के उत्पादन की आर्थिक और/या आजीविका के कार्यकलापों में सक्रिय रूप से जुड़ा है और इसमें जलीय

कृषि, कृषि, पोल्ट्री और पशुधन पालक, मधुमक्खी पालक, पशुचारक, गैर-कॉरपोरेट रोपणकर्ताओं (planters) के साथ-साथ बागवानी, पुष्पकृषि, रेशम उत्पादन, वर्मिकल्चर और कृषि-वानिकी जैसे कृषि संबंधी विभिन्न कार्यकलाप से जुड़े व्यक्ति शामिल होंगे;

(4.23) **"वित्तपोषण बैंक"** से वह बैंक अभिप्रेत है जिससे समिति संबद्ध है या जिसके द्वारा समिति को मुख्यत: वित्तपोषित किया जाता है। वित्तपोषण वित्तपोषक बैंक बनने के लिए के चयन में सहकारी बैंकों को प्राथमिकता दी जाएगी;

(4.24) **"वित्तीय वर्ष"** से वह अवधि अभिप्रेत है जो किसी वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिवस से आरंभ होकर उत्तरवर्ती वर्ष के मार्च माह की के 31वें दिवस को समाप्त होगी;

(4.25) **"साधारण निकाय"** से समिति के "क" श्रेणी के सभी सदस्यों वाली निकाय अभिप्रेत है;

(4.26) **"सरकार"** से प्रसंग के संदर्भ में राज्य सरकार/भारत सरकार/राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के उपयुक्त प्राधिकरण अभिप्रेत हैं;

(4.27) **"सदस्य की देयता"** से प्रत्येक सदस्य की देयता की सीमा अभिप्रेत है जो समिति की पूंजी में उसके द्वारा किए गए अंशदान के लिए धारित शेयरों तक सीमित है;

(4.28) **"सदस्य"** से अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुसरण में समिति के पंजीकरण के पश्चात् सदस्य के रूप में प्रवेश कराया गया व्यक्ति अभिप्रेत है;

(4.29) **"अभिहित सदस्य"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम, नियमों और उपविधियों में यथाउपबंधित किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अभिहित सदस्य के रूप में समिति की सदस्यता में प्रवेश दिया गया हो और उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा;

(4.30) **"NFDB"** से राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड अभिप्रेत है जो मत्स्य पालन विभाग; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थापित एक स्वायत्त संगठन है;

(4.31) **"पदाधिकारी"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उपविधियों के अनुसरण में सहकारी समिति के किसी पद पर साधारण निकाय या बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया गया है; जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आदि शामिल हैं;

(4.32) **"व्यक्ति"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो;

(4.33) **"अध्यक्ष"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबंधो के अनुसरण में निर्वाचित किया किया गया है और जो समिति और उसके सदस्यों के समग्र विकास और प्रगति, समिति की नीति निर्णयों के कार्यान्वयन और समिति द्वारा सहकारी अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों के विधिवत् अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा;

(4.34) **"पेशेवर निदेशक"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे लेखांकन, वित्त, प्रबंधन, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, मात्स्यिकी, कृषि, सहकारिता, सहकारी प्रबंधन के क्षेत्र अथवा समिति के कार्यकलापों से संबंधित किसी अन्य विशेषीकृत क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के कारण, और जो समिति के मामले या कारोबार में मार्गदर्शन और सलाह देने को इच्छुक हो, समिति के निदेशक मंडल में मतदान के अधिकार के बिना निदेशक के रूप में नियुक्त या सहयोजित किया गया हो;

(4.35) **“आरबीआई”** से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम**, 1934** द्वारा संस्थित भारतीय रिजर्व बैंक है;

(4.36) **"पंजीयक"** से सरकार द्वारा सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार पंजीयक के कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त सहकारी समितियों का पंजीयक अभिप्रेत है और इसमें पंजीयक की सहायता करने और पंजीयक की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति शामिल है;

(4.37) **"नियम"** से सहकारी अधिनियम जिसके अधीन समिति पंजीकृत है**,** के अधीन निर्मित नियम अभिप्रेत हैं;

(4.38) **“मुहर”** से समिति का साधारण मुहर अभिप्रेत है जिसमें स्थापना का वर्ष दर्ज हो;

(4.39) **"समिति"** से सहकारी समिति अभिप्रेत है;

(4.40) **“उप समिति”** से निदेशक मंडल द्वारा उपविधियों के अनुसार किसी विशेष/विशिष्ट कार्य और किसी विशिष्ट अवधि के उद्देश्य के लिए संस्थित उपसमिति अभिप्रेत है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;

(4.41) **“उपाध्यक्ष”** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम**,** नियमों और उपविधियों के अनुसरण में निर्वाचित किया गया है जो समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

अध्याय II
उद्देश्य और सेवाएँ

5. समिति के उद्देश्य

समिति के उद्देश्य होंगे:

5.1 शीर्ष समिति के माध्यम से या स्वतंत्र रूप से सदस्यों के आर्थिक लाभ के लिए अंतर्देशीय, खारे पानी और समुद्री जलाशयों में मछली पकड़ने या पालने, मत्स्य उत्पादों का विपणन, भंडारण और परिवहन (जैसे मछली पकड़ना, मत्स्य पालन, झींगा पालन, केज कल्चर (**cage culture)**, सजावटी मत्स्य पालन, थोक और खुदरा इकाइयां; बर्फ संयंत्रों, प्रसंस्करण इकाइयां, शीतागारों की स्थापना, इंसुलेटेड ट्रक और मात्स्यिकी से संबंधित कोई अन्य कार्य) का संवर्धन और सहायता करना ।

5.2 समिति के कार्यक्षेत्र में उसके सदस्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से कैप्चर फिशरीज (**capture fisheries**) और जलीय कृषि (जैसे कि मछली पकड़ने के जाल, बर्फ, मछली का चारा, खाद, उर्वरक, उन्नत मत्स्य बीज/बीज उत्पादन, मशीनरी/ उपकरण, अन्य निविष्टियां, इत्यादि) में फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज का विपणन और भंडारण सुविधा का संवर्धन और विकास करना; मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों तथा किसी अन्य उपज/उत्पादों (जैसे कि खेत की फसलों, फलों और सब्जियों, पुष्पकृषि, डेयरी कार्यकलाप, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, रोपण, भेड़, बकरी, खरगोश, सूअर और अन्य भूमि/समुद्र आधारित कृषि से संबंधित कार्य और उनका प्रसंस्करण) के लिए फॉरवर्ड लिंकेज (जैसे कि संग्रहण, प्रशीतन, ग्रेडिंग, सफाई, मूल्य-वर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन, भंडारण [शीतागार], प्रसंस्करण, मूल्य श्रृंखला [परिवहन, लॉजिस्टिक्स, प्रशीतन वैन, इत्यादि]) का संवर्धन और विकास करना;

5.3 समिति और उसके सदस्यों के लाभ के लिए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किन्हीं स्थानीय निकायों/ सरकारों/ विभागों/विश्वविद्यालयों/समितियों/कंपनियों के साथ सहयोग, या व्यवस्था या सहभाग करना;

5.4 भूमि, भवनों, गोदामों, बर्फ संयंत्रों, शीतागारों, प्रसंस्करण-पूर्व इकाइयों, प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य ऐसी आवश्यक आस्तियों का स्वामित्व धारण करना और पट्टा/किराए पर लेना;

5.5 मात्स्यिकी के लिए आवश्यक उपस्करों, उपकरणों, मछली पकड़ने के जाल, स्पेयर पार्ट्स तथा मात्स्यिकी एवं जलीय कृषि से संबंधित अन्य वस्तुओं की खरीद, भंडारण करना और थोक या खुदरा बिक्री करना ।

5.6 अपने कार्यक्षेत्र तथा उसके बाहर अपने सदस्यों और गैर-सदस्यों के लाभ हेतु किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक जीवन रक्षक उपस्करों का स्वामित्व रखना;

5.7 मत्स्य भंडारण, मछली पकड़ने और विपणन के लिए सरकार, स्थानीय निकाय संगठनों से अपने कार्यक्षेत्र के जलाशयों को पट्टे पर लेने के लिए प्रतिभाग करना;

5.8 सेवा या कारबार संचालन (जैसे अवसंरचना विकास, सामुदायिक केंद्र, अस्पताल, शिक्षा संस्थान, खाद्यान्न प्रापण, उचित मूल्य की दुकान, या कोई सरकारी योजना, एलपीजी/पेट्रोल/ डीजल/हरित ऊर्जा/कृषि या घरेलू

उपभोग्य और टिकाऊ सामग्रियों/कृषि मशीनरी की डीलरशिप/एजेंसी/डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आपूर्ति, कौशल विकास के लिए सदस्यों का प्रशिक्षण आदि) में शामिल होना जिससे समिति या उसके सदस्यों की सुविधाओं और आय में वृद्धि हो सके;

5.9 राज्य सरकार और उसके संगठनों द्वारा या उनसे अनुमोदित/समर्थित किसी वित्तीय संस्थाओं से शेयर पूंजी, जमा और उधार के माध्यम से कार्यक्षेत्र में वित्तीय मानदंडों (जैसे ऋण पात्रता और दिए गए ऋण को सुरक्षित करने के लिए) को अनुरक्षित करते हुएअपने सदस्यों को मात्स्यिकी से संबंधित फॉरवर्ड और बैकवर्ड कार्यकलापों के विकास के लिए समयबद्ध और पर्याप्त अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण प्रदान करना या सहायता करना, उपभोग या चिकित्सा उद्देश्य के लिए सामग्रियों/बॉन्ड/प्रतिभूतियों आदि जैसे संपार्श्विक/प्रतिज्ञा वित्तपोषण के विरुद्ध ऋण प्रदान करना;

5.10 अपने कार्यक्षेत्र में सभी सदस्यों और गैर-सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक, वित्तीय और कारबार संबंधी सूचना एकत्रित करना जिससे नीति संरचना, मात्स्यिकी विकास या संबंधित कारबार या विकासात्मक योजना सशक्त हो सके और जो कार्यक्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए भी लाभकारी भी हो;

5.11 समिति और उसके सदस्यों की आय वर्धन के लिए मात्स्यिकी, कृषि, डेयरी कार्यकलापों और अन्य कार्यकलापों से संबंधित अभिनव प्रौद्योगिकी या विस्तारण कार्य कलापों (मृदा और जल गुणवत्ता परीक्षण, रोग निदान, तकनीकी परामर्श प्रदान करना सहित) का संवर्धन, विकास और प्रदर्शन करना;

5.12 ऐसी किसी भी आस्ति या व्यवस्था का सृजन/स्थापना करना या सहायक संस्थाओं की स्थापना करना जो उत्पादन, एकत्रण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए समिति और उसके सदस्यों के लिए लाभकारी हो;

5.13 मत्स्य संपदा के संरक्षण एवं प्रबंधन, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, कौशल विकास के प्रति जागरुकता निर्माण में प्रतिभाग करना या प्रोत्साहित करना, मेलों एवं प्रदर्शनियों अथवा मात्स्यिकी एवं संबद्ध क्षेत्रों में विस्तारण संबंधी कार्यों में भागीदारी/आयोजन करना;

5.14 प्रशिक्षण, एक्सपोजर दौरे या क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से अपने सदस्यों एवं उनके परिवारों (विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं) तथा प्रबंधन एवं स्टाफ को सहकारी सिद्धांतों, मूल्यों एवं कार्यों के बारे में शिक्षित करना जिससे कार्यक्षेत्र में सभी हितधारकों में सामाजिक सद्भाव और आर्थिक लाभ को बढ़ावा मिल सके;

5.15 वित्तीय/बैंकिंग संस्थाओं के लिए एजेंट या बैंक मित्र/व्यवसाय अभिकर्ता/व्यवसाय सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना;

5.16 सदस्यों और उनके परिवारों, विशेषकर बच्चों में साक्षरता/शिक्षा, लघु बचत को प्रोत्साहित करना;

5.17 अपने सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना तथा सूक्ष्म बीमा/बीमा प्रदान करना;

5.18 अपने कार्यक्षेत्र में सहकारिता आधारित कार्यकलापों में युवाओं और महिलाओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना;

5.19 शिक्षा (स्कूल, कॉलेज), स्वास्थ्य (अस्पताल, डिस्पेंसरी, नैदानिक प्रयोगशाला, एम्बुलेंस सेवा), पर्यटन और पर्यावरण तथा सतत विकास कार्यकलापों के क्षेत्र में समुदाय-आधारित सेवाएं प्रदान करना;

5.20 अपने कार्यक्षेत्र में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (**DBT**) के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी योजनाओं में प्रतिभाग करना;

5.21 सरकार द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली सूचना/डेटा केंद्र के स्रोत के रूप में कार्य करना;

5.22 अपने कार्यक्षेत्र में ऑनलाइन/डिजिटल सेवाओं की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर सामान्य सेवा केंद्र के रूप में कार्य करना;

5.23 समिति के सदस्यों के लाभ के लिए अपने कार्यक्षेत्र और उसके बाहर विपणन और समान कार्यकलाप करना;

5.24 ऐसे अन्य कार्यकलाप करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक व प्रासंगिक हों तथा सदस्यों व समिति के लाभ के लिए साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हों ।

6 समिति की सेवाएँ

उपर्युक्त उद्देश्यों के आलोक में समिति निम्नलिखित सेवाएं या व्यावसायिक कार्यकलापों से जुड़ सकती है:

6.1 अपने सदस्यों को समर्थन देने के लिए कैप्चर फिशरीज (**capture fisheries**), जलीय कृषि और इसके उत्पादों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज विपणन और भंडारण से संबंधित कार्यकलाप;

6.2 समिति और उसके सदस्यों के लाभ के लिए उत्पादन, एकत्रण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए आस्ति निर्माण या व्यवस्था या सहायक संस्थाओं की स्थापना;

6.3 भूमि, भवनों, गोदामों, बर्फ संयंत्रों, शीतागारों, प्रसंस्करण-पूर्व इकाइयों, प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य ऐसी आवश्यक आस्तियों का स्वामित्व धारण करना, पट्टा/किराए पर लेना;

6.4 मत्स्य भंडारण, मछली पकड़ने और मत्स्य विपणन के लिए सरकार, स्थानीय निकाय संगठनों से अपने कार्यक्षेत्र में जलाशयों को पट्टे पर लेने के लिए प्रतिभाग करना;

6.5 मात्स्यिकी सेक्टर क्षेत्र में सेवाओं या व्यवसायिक कार्यों, जैसे मछली पकड़ने के आवश्यक उपस्करों, उपकरणों, मछली पकड़ने के जाल, स्पेयर पार्ट्स और मात्स्यिकी एवं जलीय कृषि से संबंधित अन्य वस्तुओं, आदि की थोक या खुदरा बिक्री में शामिल होना;

6.6 गैर-सेक्टर क्षेत्र से असम्बद्ध कार्यकलापों (जैसे अवसंरचना विकास, सामुदायिक केंद्र, अस्पताल, शिक्षा संस्था, खाद्यान्न प्रापण, उचित मूल्य की दुकान या कोई सरकारी योजना, एलपीजी/पेट्रोल/ डीजल/हरित ऊर्जा/ कृषि या घरेलू उपभोग्य और टिकाऊ सामग्रियों/कृषि मशीनरी की डीलरशिप/एजेंसी/डिस्ट्रिब्यूटरशिप या

आपूर्ति, कौशल विकास के लिए सदस्यों का प्रशिक्षण, आदि) की सेवाएं प्रदान करना या व्यवसायिक कार्यकलाप करना जिससे समिति या उसके सदस्यों के लाभ में वृद्धि हो सके;

6.7 राज्य सरकार और उसके संगठनों द्वारा या उनसे अनुमोदित/समर्थित किसी वित्तीय संस्थाओं से शेयर पूंजी, जमा और उधार के माध्यम से कार्यक्षेत्र में वित्तीय मानदंडों (जैसे ऋण पात्रता और दिए गए ऋण को सुरक्षित करने के लिए) को अनुरक्षित करते हुए अपने सदस्यों को मात्स्यिकी से संबंधित फॉरवर्ड और बैकवर्ड विपणन और भंडारण कार्यकलापों के विकास के लिए समयबद्ध और पर्याप्त अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण प्रदान करना या सहायता करना, उपभोग या चिकित्सा उद्देश्य के लिए सामग्रियों/बॉन्ड/प्रतिभूतियों, आदि जैसे संपार्श्विक/प्रतिज्ञा वित्तपोषण के विरुद्ध ऋण प्रदान करना;

6.8 समिति और उसके सदस्यों की आय वर्धन के लिए मात्स्यिकी, कृषि, डेयरी कार्यकलापों और अन्य कार्यकलापों से संबंधित अभिनव प्रौद्योगिकी या विस्तारण कार्यकलापों (मृदा और जल गुणवत्ता परीक्षण, रोग निदान, तकनीकी परामर्श प्रदान करना सहित) का संवर्धन, विकास और प्रदर्शन करना;

6.9 मत्स्य संपदा के संरक्षण एवं प्रबंधन, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, कौशल विकास के प्रति जागरुकता निर्माण में प्रतिभाग करना या प्रोत्साहित करना, मेलों एवं प्रदर्शनियों अथवा मात्स्यिकी एवं संबद्ध क्षेत्रों में विस्तारण संबंधी कार्यों में भागीदारी/आयोजन करना;

6.10 ऐसे अन्य कार्यकलाप करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक व प्रासंगिक हों तथा सदस्यों व समिति के लाभ के लिए साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हों।

अध्याय III

सदस्यता

7. सदस्यता:

(**7.1**) **सदस्यता के प्रकार**: समिति की सदस्यता के दो प्रकार या राज्य अधिनियम/नियमों द्वारा यथा उपबंधित सदस्यता के प्रकार होंगे ।

"**क"-वर्ग सदस्य**: 'क 'वर्ग के सदस्य समिति के शेयरधारक होते हैं जो उपविधियों में प्रदत्त सभी सदस्यता अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं ।

"ख" वर्ग के सदस्य: 'ख' वर्ग के सदस्य समिति के नाममात्र सदस्य होते हैं ।

(**7.2**) **'क' वर्ग की सदस्यता के लिए पात्रता**:

निम्नलिखित व्यक्ति, पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन, **क-वर्ग** के सदस्य होंगे :

क. समिति के पंजीकरण के समय प्रवर्तक;

ख. वह व्यक्ति जो,

i) वह व्यक्ति जो संचालन क्षेत्र में निवास करता हो और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अधीन अनुबंध करने की क्षमता रखता हो (18 वर्ष से अधिक आयु का हो, स्वस्थ मानसिक स्थिति में हो और किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित न हो) और

ii) वह व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से मत्स्याखेट या जलीय कृषि या किसी अन्य संबद्ध कार्यकलाप में संलग्न हो, जिसमें मत्स्य कर्मी, संचालन क्षेत्र में मछली पकड़ने की नाव रखने वाले व्यक्ति, समिति के संचालन क्षेत्र में जलीय कृषि के लिए भूमि रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं; लेकिन वे व्यक्ति जो मछली पकड़ने की नाव, जाल, इंजन और अन्य मछली पकड़ने के उपकरण बेचते या किराए पर देते हैं, या मछुआरों को ऋण प्रदान करते हैं, वे सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं ।

iii) उसके नाम पर अथवा किराए/पट्टे के आधार पर मात्स्यिकी से संबंधित आस्तियां (जलकृषि फार्म/इकाइयां) हो ।

iv) किसी अन्य पंचायत/गांव में किसी अन्य मात्स्यिकी सहकारी समिति (FCS) का सदस्य नहीं है; [यदि पंचायत/गांव में कोई एफसीएस नहीं है, तो सदस्य रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बाद निकटवर्ती बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (M-PACS) या बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समिति (M-DCS) का लाभ उठा सकते हैं]।

7.3 'ख'-वर्ग की सदस्यता के लिए पात्रता और अन्य शर्तें:

क वह व्यक्ति जो समिति के साथ व्यावसायिक संबंध रखना चाहता है, उसे 10/- रुपये के प्रवेश शुल्क का भुगतान करके करने पर नाममात्र के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा, यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा लौटाया नहीं जाएगा और समिति के की आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा ।

ख एक व्यक्ति जो सीधे तौर पर कृषि, डेयरी या मात्स्यिकी कार्यकलापों के अलावा से इतर अन्य सभी संबद्ध कार्यकलापों में लगा हुआ है;

ग स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, किसान हित समूह, काश्तकार किसान या भूमि और सुविधाओं के उपयोगकर्ता, श्रमिक, सूक्ष्म उद्यमी, ग्रामीण कारीगर और अन्य संबद्ध कार्यकलापों में संलग्न लगे व्यक्ति, समिति के नाममात्र सदस्यों के रूप में स्वीकार किए जाएंगे ।

घ कोई भी संगठन जो भारत (अथवा विदेश) में किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, केवल व्यावसायिक उद्देश्यों प्रयोजन के लिए नाममात्र सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।

ङ नाममात्र के सदस्यों को किसी भी बैठक में भाग लेने, समिति के मामलों में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा और वे समिति से लाभांश प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

च नाममात्र के सदस्य समिति के निदेशक मंडल के सदस्य के लिए निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं ।

छ एक नाममात्र सदस्य जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता या मुचलकेदार जमानतदार या गारंटर के रूप में समिति का देनदार है, वह तब तक ऐसा सदस्य बना रहेगा जब तक कि समिति की देनदारी पूरी तरह से पूरी नहीं हो जाती ।

ज नाममात्र के सदस्यों को कोई शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन समिति में अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें उनकी सदस्यता के प्रमाण के रूप में उनके हस्ताक्षर और पूरा पता होगा ।

7.4 सदस्यों की अपात्रता या अयोग्यता:

कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में प्रवेश करने या बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा और वह सदस्य नहीं रहेगा, यदि :

क ऐसे किसी अपराध के लिए दंड दिया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, ऐसे दंड को वापस नहीं किया गया हो;

ख किसी विधायी न्यायालय द्वारा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है और उसे तब तक तीन माह या उससे अधिक के लिए कारावास की सजा दी गई है जब तक कि उसकी रिहाई के बाद 5 वर्ष की अवधि बीत न गई हो;

ग दिवालिया या दिवालिया के रूप में अधिनिर्णीत है;

घ ऐसे निष्कासन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर समिति या किसी अन्य सहकारी समिति द्वारा निष्कासित किया गया है;

ङ समिति के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर किए गए निर्णय के अनुसार अंशदान, अभिदान, यदि कोई हो, सहित किसी भी बकाया राशि के भुगतान में चूक हुई है और भुगतान की सूचना प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया है।

च यदि सदस्य अब मत्स्याखेट/जलीय कृषि/संबद्ध कार्यकलापों में कोई कार्यकलाप नहीं करता है या उसके नाम पर या किराए/पट्टा के आधार पर संपत्ति (जलीय कृषि फार्म/इकाइयों) का स्वामित्व नहीं रखता है;

छ मानसिक रूप से अक्षम है;

ज ऋण प्रदान करने के व्यवसाय में है;

झ एक अन्य सहकारी समिति का सदस्य है जो समान सेवाएं प्रदान कर रही है;

ञ किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/समिति का बकायादार है;

ट समिति की किसी भी सेवाओं या उत्पादों का उपयोग नहीं करता है और लगातार तीन वर्षों तक सामान्य निकाय में अनुपस्थित रहता है;

ठ अधिनियम/नियमों के उपबंधों के अनुसार कोई अन्य निरर्हता हो ।

7.5 सदस्यता की प्रक्रिया :

क कोई भी व्यक्ति जो समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो और उपविधियों के अनुसार पात्र हो, निर्धारित शुल्क पर आवेदन पत्र प्राप्त सकता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को विधिवत् भरा आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर सकता है ।

ख समिति में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए केवाईसी अनिवार्य है।

ग मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंतिम निर्णय के लिए निदेशक मंडल के समक्ष आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करेगा जो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की अधिकतम अवधि के भीतर निर्णय लेगा।

घ मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निदेशक मंडल की बैठक के 15 दिनों के भीतर आवेदक को उनके निर्णय की जानकारी देगा । यदि आवेदक आवेदन को स्वीकार किया जाता है, तो उसे प्रवेश शुल्क और अंशदान की राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा, साथ ही निदेशक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जैसे पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, संपत्ति (मछली पकड़ने की नाव, भूमि) का स्वामित्व प्रमाण, अनौपचारिक समूह/अन्य सहकारी समिति

का संकल्प आदि । इन दस्तावेजों के प्रस्तुत होने पर, आवेदक को समिति का सदस्य स्वीकार कर लिया जाएगा ।

ङ सदस्यता सदस्यता देने से इनकार करने के विरुद्ध अपील रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल की जा सकती है और रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा।

च क-वर्ग सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सोसायटी के कम से कम पांच शेयर (प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रुपये) अर्थात 500 रुपये का अंशदान करना होगा । सदस्य को प्रवेश के समय 10 रुपये का प्रवेश शुल्क भी देना होगा, जो वापस नहीं किया जाएगा ।

छ भर्ती सदस्यों को सहकारी मूल्यों, सिद्धांतों, उनके अधिकारों और दर्शन तथा समिति में उपलब्ध सेवाओं/सुविधाओं तथा लाभों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए ।

7.6 सदस्यों द्वारा शेयर अभिदान:

क किसी सदस्य द्वारा अधिकतम शेयरधारिता समिति की कुल अभिदत्त शेयर पूंजी के 1/5वें भाग तक सीमित होगी।

ख प्रत्येक व्यक्ति जिसे शेयर आबंटित किए जाते हैं, वह शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा जिसमें उसे आबंटित शेयरों की संख्या और उसके द्वारा भुगतान की गई राशि निर्दिष्ट होगी।

ग प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र पर अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समिति के निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे ।

घ समिति अपने सदस्यों को समय-समय पर जारी/हस्तांतरित किए गये शेयरों का रिकॉर्ड तथा समिति के साथ प्रत्येक सदस्य के लिए उपलब्ध शेयर पूंजी की राशि दर्शाते हुए अंशों शेयरों का एक रजिस्टर बनाए रखेगी ।

ङ समिति को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह सदस्य से वसूले जाने वाले संबंधित ऋणों या किसी अन्य बकाया राशि के लिए शेयर राशि और उस पर अर्जित लाभांश को समायोजित कर सके। यह सिद्धांत पूर्व सदस्यों और दिवंगत सदस्यों पर भी लागू होगा ।

च समिति को सोसाइटी के पूंजी आधार को सशक्त करने के लिए अर्जित लाभांश का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

छ समिति द्वारा घोषित लाभांश की दर का निर्णय निकाय की आम बैठक में किया जाएगा ।

7.7 सदस्य के अधिकार:

7.7.1 ''क' वर्ग सदस्यः प्रत्येक 'क' वर्ग सदस्य को निम्नलिखित अधिकार होंगे:

क आम निकाय की बैठक में भाग लेने, उसमें सहभागिता करने और मतदान करने का अधिकार;

ख वार्षिक रिपोर्ट और लेखा की प्रति प्राप्त करना;

ग निदेशकों का निर्वाचन करना और यदि पात्र हो तो बोर्ड में निदेशक के रूप में चुनाव लड़ना, बशर्ते कि वह कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए समिति का सदस्य रहा हो;

घ समिति द्वारा प्रदत्त सभी सेवाओं/सुविधाओं या अवसंरचनात्मक सहायता का लाभ उठाना;

ङ अपनी अभिदत्त शेयर पूंजी पर समिति द्वारा अर्जित लाभ में हिस्से के रूप में लाभांश प्राप्त करने के लिए बशर्ते कि समिति के मात्स्यिकी कार्यकलापों से लाभांश को क्रमशः मात्स्यिकी धारक सदस्यों को ही पुर्वितरित किया जाएगा और समिति के अन्य सभी लांभांश अन्य सभी किसान सदस्यों को पुनः वितरित किया जाएगा;

च निदेशक मंडल या आम निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों पर ऋण लेना या समिति की सुविधाओं का लाभ उठाना;

छ समिति में अपने खातों का निःशुल्क निरीक्षण करना और प्रति पृष्ठ 2/- रुपये के शुल्क का भुगतान करके इसकी एक प्रति प्राप्त करना;

ज वार्षिक रिपोर्ट, लेखाओं के संपरीक्षित विवरण, संपरीक्षा रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट का निरीक्षण करना;

झ निकाय की आम बैठकों और निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज कार्यवाही की प्रति प्राप्त करना;

ञ समिति के अधिनियम, नियमों और अद्यतन उपविधियों की प्रति प्राप्त करना;

ट किसी जांच या विशेष संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों का निरीक्षण करना; और

ठ समिति में अधिनियम के अनुसार समिति की आम निकाय द्वारा यथा विनिश्चय की गई न्यूनतम सेवाओं के संव्यवहार के अध्यधीन मतदान का अधिकार प्राप्त करना ।

7.7.2 "ख" वर्ग के सदस्य-नाममात्र सदस्य: प्रत्येक नाममात्र सदस्य को निम्नलिखित अधिकार होंगे:

क समिति द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर समिति द्वारा प्रदान की गई गैर-कृषि क्षेत्र ऋण और अन्य गैर-ऋण सुविधाओं को प्राप्त करना;

ख नाममात्र सदस्यों को दिए गए गैर-कृषि ऋणों से उत्पन्न होने वाले कुल लाभांश का 10% तक प्रोत्साहन प्राप्त करना;

ग अपने स्वामित्व वाली सुविधाएं प्रदान करना जो समिति और उसके सदस्यों के लिए समिति के प्रचालन के क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर परस्पर निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर लाभकारी हो सकती हैं ।

7.8 सदस्य के कर्तव्य:

क समिति की सदस्यता के लिए गृहीत किए जाने से पूर्व प्रत्येक आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि उसने उपविधियों के उपबंधों को पढ़ा और समझा है और समिति, अधिनियमों और नियमों के उपविधियों द्वारा बाध्य रहेगा और उस पर समिति की उपविधियां, अधिनियम और विनियम बाध्यकारी होंगे ।

ख ऐसे सदस्य जो पंजीकरण के लिए आवेदन में शामिल होने के करने के कारण पहले से ही सदस्य हैं, उसे समिति के पंजीकरण के एक माह के भीतर ऐसी घोषणा पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा ।

ग कोई भी सदस्य सदस्यता के किसी अधिकार का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उन्होंने उपर्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं कर लिए हो और उसने प्रवेश शुल्क तथा उनके द्वारा अभिदत्त शेयरों के पूर्ण मूल्य का भुगतान न कर दिया हो ।

7.9 सदस्यों की देयता:

समिति के 'क' वर्ग के सदस्य, परिसमापन/विघटन की स्थिति में, आस्तियों में घाटे के लिए अंशदान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, जो उसके द्वारा अभिदत्त या भुगतान की गई शेयर पूंजी की सीमा तक सीमित होगा ।

7.10 सदस्यता और शेयर पूंजी की वापसी:

निदेशक मंडल की बैठक में संकल्प स्वीकार करने के पश्चात् ही सदस्य की सदस्यता वापस ली जा सकती है और ऐसे सभी संकल्प आम निकाय के समक्ष सूचना के लिए रखे जाएंगे । यदि सदस्य ने समिति को सभी समस्त बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और प्रतिभूति के रूप में देयता का भुगतान किया है, यदि कोई हो,का भुगतान किया है तो वह अपनी सदस्यता पूर्ण रूप से वापस ले सकता है, बशर्ते कि एक उक्त सदस्य को निदेशक मंडल को तीन महीने का नोटिस देना आवश्यक होगा और एक लिखित अनुरोध कर, उसके कारणों को बताना होगा । सदस्यता की वापसी/समाप्ति सदस्य को सदस्य के रूप में किसी भी वित्तीय या अन्य देयताओं से मुक्त नहीं करती है ।

7.11 सदस्य का निष्कासन:

समिति के किसी सदस्य को आम निकाय में न्यूनतम 50 प्रतिशत कोरम के साथ एक प्रस्ताव द्वारा निष्कासित किया जा सकता है और उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई बहुमत से पारित किया जा सकता है यदिः

क उसने समिति के हित के विरुद्ध कार्य किया है; या

ख सदस्य के रूप में उनका बने रहना समिति के कामकाज के लिए हानिकारक या पूर्वाग्रही हो;

बशर्ते कि संबंधित सदस्य को तब तक निष्कासित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे राज्य सहकारी समिति अधिनियम/नियमों के अनुसार मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो। निष्कासन के विरुद्ध अपील राज्य सहकारी समिति अधिनियम/नियमों के अनुसार दायर की जा सकती है ।

7.12 सदस्य द्वारा नामांकन:

कोई सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति को नामिती के रूप में नामित कर सकता है जिसके पक्ष में समिति ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हिस्से या हित का निपटान करेगी । यदि कोई नामांकित व्यक्ति नामित नहीं है, तो नामांकित व्यक्ति वर्तमान उत्तराधिकार कानून के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

अध्याय IV

पूंजी एवं निधियां

8. निधियां एवं स्रोत:

समिति साधारणतया निम्नलिखित स्रोतों से निधियां प्राप्त करेगी :

1. प्रवेश शुल्क
2. शेयर पूंजी
3. उधार राशि
4. जमा राशि
5. आरक्षित और अधिशेष
6. अनुदान और सब्सिडी
7. संदान
8. व्यावसायिक कार्यकलापों से आय

(8.1) प्रवेश शुल्क: समिति 'क ' और 'ख ' दोनों वर्ग के सदस्यों से 10 रुपये का प्रवेश शुल्क एकत्र करेगी । प्रवेश शुल्क अप्रतिदेय होगा ।

(8.2) शेयर पूंजी:

क समिति की प्राधिकृत शेयर पूंजी समय-समय पर आम निकाय द्वारा निर्धारित की जाएगी और समिति के रजिस्टर द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

ख प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रुपये होगा । शेयरों का कुल मूल्य सदस्यों को इसके आबंटन पर एकमुश्त भुगतान किया जाएगा ।

ग सदस्यों द्वारा धारित शेयर पूंजी पर लाभांश अधिनियम में निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन सामान्य निकाय में यथा विनिश्चित रूप से उन्हें संवितरित किया जाएगा।

घ कोई सदस्य समिति से सदस्यता वापस लेने पर ही अपनी शेयर पूंजी निकाल सकता है । सदस्य की मृत्यु के बाद, उसके नामिती व्यक्ति को शेयर पूंजी की राशि का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि सोसाइटी के प्रति कोई बकाया राशि हो तो उसे पहले समायोजित किया जाएगा । यदि नामित व्यक्ति सदस्यता के लिए आवेदन करता है, तो यह राशि निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामित व्यक्ति के शेयर पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी ।

ङ किसी भी वर्ष में ऋण से जुड़े शेयर पर देय अधिकतम लाभांश उस वर्ष में अनुसूचित बैंकों द्वारा देय ब्याज की दर से अधिक नहीं होगा, और इस लाभांश को शेयर में जोड़ा जाएगा।

(8.3) समिति की उधारी राशियाँ और अधिकतम उधार लेने की अधिकतम क्षमता:

समिति को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समिति के रजिस्ट्रार के अनुमोदन से संबंधित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से धन उधार लेना चाहिए । अधिकतम बकाया उधार किसी भी समय प्रदत्त शेयर पूंजी के 25 गुना से अधिक नहीं होगा और संचित हानियों को घटा कर आरक्षित निधि से अधिक नहीं होगा ।

(8.4) जमा राशि :

समिति केवल अपने सदस्यों से जमा स्वीकार करेगी और जमा की ब्याज दर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की संबंधित जमा ब्याज दर से 2% से अधिक नहीं होगी । समिति निदेशक मंडल के अनुमोदन से अलग जमा नियम और योजनाएं तैयार करेगी ।

(8.5) ऋण और अग्रिम राशि

ऋणों के लिए आवेदन निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे जाएंगे । समिति विभिन्न प्रकार के ऋण, प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर, अपेक्षित सुरक्षा/संपार्श्विक और अन्य निबंधन और शर्तों के लिए पृथक् ऋण नीति तैयार करेगी जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जाएगी । ऋण की किसी भी अस्वीकृति के बारे में उचित समयावधि के भीतर व्यक्तिगत सदस्य को अलग से सूचित कर दिया जाएगा। अस्वीकृति के सभी मामलों को भी आम निकाय के समक्ष सूचनार्थ रखा जाएगा ।

(8.6) आरक्षित और अधिशेष:

समिति अपने आरक्षित निधि और अधिशेष निधि के लिए प्रत्येक वर्ष निवल लाभ (या अधिनियम के उपबंधों के अनुसार) का 25% विनियोजित करेगी । समिति की आरक्षित निधि समग्र रूप से उसी की होगी और किसी भी सदस्य का इसमें हिस्से का दावा नहीं होगा । हालांकि, समिति आम निकाय के अनुमोदन से व्यवसाय में अपने आरक्षित निधि और अधिशेष निधि के 25% तक का उपयोग कर सकती है । आरक्षित निधि और अधिशेष निधि के 25% से अधिक किसी भी राशि का उपयोग करने के लिए रजिस्ट्रार की अनुमति लेनी होगी ।

(8.7) अनुदान और सब्सिडी

समिति सरकार और अन्य एजेंसियों से अनुदान और सब्सिडी प्राप्त कर सकती है।

(8.8) संदान

समिति विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने सदस्यों, सरकार और अन्य एजेंसियों से संदान प्राप्त कर सकती है । समिति के संदर्भ में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं और निगमित संस्थाओं से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधियां भी प्राप्त कर सकती है ।

अध्याय V
समिति का प्रबंधन

9. आम निकाय

(9.1) समिति का अंतिम प्राधिकरण आम निकाय में निहित होगा। समिति के आम निकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क समिति के सभी 'क' वर्ग के सदस्य/शेयरधारक;

ख राज्य सरकार के नामिती;

(9.2) उपविधियों के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आम निकाय के पास निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे: -

क अधिनियम, नियमों और उपविधियों में निर्धारित प्रक्रियाओं और रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल का निर्वाचन और निष्कासन;

ख बोर्ड द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई समिति की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार;

ग नवीनतम संपरीक्षा रिपोर्ट और उसके अनुपालन पर विचार करना और खातों का संपरीक्षित विवरण;

घ वार्षिक बजट का अनुमोदन;

ङ अधिनियम और उपविधियां, यदि कोई हो, उसके उपबंधों के अनुसार किए गए निरीक्षण और जांच की रिपोर्ट पर विचार करना;

च निदेशकों और उनके संबंधियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों से संबंधित मामले पर विचार करना और चूक के मामले में उनकी वसूली के लिए की जाने वाली कार्रवाई;

छ निवल लाभ का विनियोजन;

ज विशिष्ट रिजर्व और अन्य निधियों का सृजन और अन्य निधियों के वास्तविक परिनियोजन की समीक्षा करना;

झ उपविधियों में संशोधन, यदि कोई हो;

ञ सदस्य का निष्कासन, यदि कोई हो;

ट दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक परिचालन योजना का अनुमोदन;

ठ आम सभा की बैठक के अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य व्यवसाय का लेन-देन

(9.3) सामान्य निकाय समय-समय पर कामकाज के लिए बैठक करेगा और ऐसी बैठकों को सामान्य निकाय बैठकें कहा जाएगा और ये तीन प्रकार की होंगी ।

क) वार्षिक आम निकाय की बैठक सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक

i) वार्षिक आम निकाय की बैठक सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर आयोजित की जाएगी।

ख) विशेष आम निकाय की बैठक सामान्य निकाय की विशेष बैठक

i) बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी समय विशेष आम सभा सामान्य निकाय की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है, यदि वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए या राज्य सहकारी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त समझे ।

ग) अपेक्षित आम निकाय की बैठक सामान्य निकाय की बैठक का बुलाया जाना

i) कुल ए-क्लास सदस्यों में से कम से कम एक चौथाई द्वारा हस्ताक्षरित अधियाचन के 30 दिनों के भीतर बोर्ड द्वारा एक अधियाचित आम सभा सामान्य निकाय की बैठक बुलाई जाएगी ।

ii) ऊपर उल्लिखित अनुरोध मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा और इसमें बैठक की आवश्यकता और प्रस्तावित एजेंडा बताया जाएगा।

iii) यदि अधियाचना प्राप्त होने पर बोर्ड उचित समय के भीतर आम सभा सामान्य निकाय की बैठक बुलाने में विफल रहता है, तो अधियाचना पर हस्ताक्षरकर्ता मामले को रजिस्ट्रार को संदर्भित कर सकते हैं, जो यदि उचित समझे तो आम सभा सामान्य निकाय की बैठक बुला सकता है या किसी व्यक्ति को ऐसी बैठक बुलाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(9.4) आम निकाय सामान्य निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी । आम निकाय सामान्य निकाय की बैठक बोर्ड द्वारा या बोर्ड के निर्देश के अधीन समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बुलाई जा सकती है ।

(9.5) सभी सदस्यों को आम सभा सामान्य निकाय की बैठक की तिथि, स्थान, समय और एजेंडा निर्दिष्ट करते हुए कम से कम 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी । आम सभा की बैठक की सूचना निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से दी जा सकती है:

क समिति के कार्यालय में या समिति के संचालन के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट स्थान पर नोटिस की एक प्रति चिपकाकर;

ख सूचना पुस्तिका का परिचालन करके और इस पर सदस्यों के हस्ताक्षर करवा कर;

ग डाक द्वारा;

घ डिजिटल मोड जैसे ईमेल, व्हाट्सएप आदि द्वारा

ङ प्रचालन क्षेत्र में ढोल की थाप द्वारा

(9.6) आम निकाय सामान्य निकाय की बैठक के लिए कोरम अधिनियम और नियमों में यथा उपबंधित सदस्यों की कुल संख्या का एक-चौथाई होगा। यदि अध्यपेक्षा के अलावा बुलाई गई आम निकाय सामान्य निकाय की बैठक के लिए निर्धारित समय पर कोरम पूरा नहीं होता है, तो निर्धारित समय से एक घंटे की प्रतीक्षा करने के बाद भी, बैठक आगे की तारीख के लिए स्थगित कर दी जाएगी और उस तारीख के लिए नई सूचना सदस्यों को दी जाएगी। बाद की आम निकाय सामान्य निकाय की बैठक में कार्य सदस्यों की कुल संख्या के दसवें हिस्से के कोरम के साथ किया जा सकता है या अधिनियम और नियमों में यथा उपबंधित के अनुसार किया जा सकता है।

(9.7) यदि बैठक सदस्यों की अध्यपेक्षा पर बुलाई गई है और कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी और उस अध्यपेक्षा के आधार पर आगे कोई आम निकाय सामान्य निकाय बैठक नहीं बुलाई जाएगी।

(9.8) अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, आम निकाय सामान्य निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। जब वे दोनों अनुपस्थित हों, तो उपस्थित सदस्य बैठक के लिए अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

(9.9) आम निकाय सामान्य निकाय के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा। आम निकाय में परोक्षी द्वारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। जब मत बराबर होते हैं, तो आम निकाय सामान्य निकाय के अध्यक्ष के पास अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(9.10) सामान्य निकाय की बैठक में चर्चा या निर्णय लिए गए सभी कार्य मिनट बुक में अभिलिखित किए जाएंगे और बैठक के अध्यक्ष और समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

10. निदेशक मंडल

(10.1) समिति के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए उसके निदेशक मंडल में ____ सदस्य होंगे और इसका गठन समिति के सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा अथवा राज्य के सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में यथा निर्धारित अनुसार किया जाएगा। ***[निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या समिति में सदस्यों की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए और राज्य सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित अनुसार निर्णय लिया जा सकता है।]***

(10.2) कोई व्यक्ति समिति के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह:

क 21 वर्ष से कम आयु का है; या

ख वह समिति या वित्तपोषण बैंक/संस्थान का सवेतन कर्मचारी है या

ग सरकार या कोई स्थानीय निकाय; या

घ ऐसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है जिसमें बेईमानी या नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

ङ दिवालियापन के लिए आवेदन किया है या दिवालिया घोषित किया गया है; या

च अस्वस्थ मस्तिष्क का है; या

छ समिति के प्रति किसी भी बकाया भुगतान में चूक की स्थिति में; या

ज समिति के अधीन लाभ का पद धारण करता है; या

झ शेयरों के बकाया में हैं; या

ञ अपनी अधिकतम ऋण सीमा से अधिक समिति के प्रति ऋणग्रस्त है; या

ट निर्वाचन की तारीख से ठीक पहले कम से कम एक वर्ष के लिए समिति का मतदान सदस्य नहीं रहा है; या

ठ उसने निर्वाचन से ठीक पहले आयोजित समिति की आम निकाय की बैठक में भाग नहीं लिया है; या

ड किसी भी समय सदस्य के रूप में मतदान करने या उपविधियों में यथाविनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में बने रहने का अधिकार खो दिया है; या

ढ अधिनियम नियमों और उपविधियों में यथा विनिर्दिष्ट निदेशाक बने रहने अथवा बने रहने के लिए कोई अन्य निरर्हता का वहन किया है।

(10.3) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, समिति के निदेशक मंडल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/महिलाओं और छोटे व सीमांत किसान सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। निदेशक मंडल में 2 महिलाओं और 1 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सदस्य के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

(10.4) निदेशक मंडल का कार्यकाल निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष होगा ।

(10.5) बोर्ड अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा ।

(10.6) निदेशक मंडल की बैठक बुलाने के लिए कम से कम सात स्पष्ट दिनों का नोटिस अपेक्षित है ।

(10.7) सोसाइटी अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल के लिए निर्वाचन कर सकती है।

(10.8) बोर्ड, समिति के कार्य के संव्यवहार की निगरानी के लिए तीन मास में कम से कम एक बैठक करेगा।

(10.9) बोर्ड के सदस्यों के बहुमत के अनुरोध पर बोर्ड की बैठक भी ऐसी मांग प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर बुलाई जाएगी । यह मांग मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित होगी और इसमें बैठक की आवश्यकता और प्रस्तावित एजेंडा बताया जाएगा ।

(10.10) निदेशक मंडल मात्स्यिकी और संबद्ध कार्यकलापों, बैंकिंग, सहकारिता, प्रबंधन, विधिक, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले अधिकतम 2 व्यावसायिक निदेशकों को उचित मार्गदर्शन और सलाह के लिए बोर्ड में शामिल करने/सहयोजित करने का निर्णय ले सकता है । पेशेवर निदेशक बोर्ड के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्य अधिनियम में विनिर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना के प्रयोजन बाहर रखा जाएगा । पेशेवर निदेशकों को मतदान का अधिकार नहीं होगा ।

(10.11) अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार अयोग्यता के अलावा, बोर्ड का कोई सदस्य अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या पद पर बने रहने से वंचित हो जाएगा यदि वह;

क समिति का शेयरधारक नहीं रह जाता है; या

ख दिवालियापन के लिए आवेदन किया है या दिवालिया घोषित किया गया है; या

ग बेईमानी या नैतिक अधमता के लिए किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है; या

घ समिति के अधीन लाभ का कोई कार्यालय या स्थान रखता है या कोई मानदेय प्राप्त करता है; या फिर

ङ त्यागपत्र देता है और उसका त्यागपत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है; या

च स्वयं को बोर्ड की अनुमति के बिना निदेशक मंडल की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रखता है; या

छ सोसाइटी को किसी भी बकाया राशि के भुगतान में चूक; अथवा

ज सोसाइटी या वित्त पोषण बैंक या सरकारी या किसी स्थानीय निकाय का वैतनिक कर्मचारी बन जाता है; या

झ शेयर के किसी बकाया भुगतान करने में विफल रहता है; या

ञ सोसाइटी से उसकी अधिकतम ऋण सीमा से अधिक या उससे अधिक ऋण लेता है; या

ट वर्तमान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी निजी व्यवसाय, व्यापार या पेशे में संलग्न है, जो समिति द्वारा संचालित व्यवसाय के समान है; या

ठ अधिनियमों और नियमों के अधीन अपराधों के लिए दंडित किया गया है; या

ड जिसने अधिनियम/नियमों/उपविधियों के अंतर्गत सदस्य के रूप में मतदान का अधिकार खो दिया है; या

ढ किसी भी समय दो वर्ष के भीतर समिति या किसी अन्य समिति से निष्कासित किया गया है।

(10.12) यदि बोर्ड का कोई निदेशक बोर्ड की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा । इस तथ्य से संबंधित सदस्य को अवगत कराया जाएगा और इसकी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बोर्ड की अगली बैठक में सदस्य से प्राप्त उत्तर के साथ दी जाएगी । बोर्ड ऐसे सदस्य को बहाल करने के लिए स्वतंत्र होगा, बशर्ते कि ऐसे सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त हुआ हो और यह भी उपबंध किया जाए कि निदेशक की अवधि के दौरान एक बार से अधिक बार उसे पुनः बहाल नहीं किया जाएगा । यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस प्रकार बोर्ड में अपना स्थान खो देते हैं और यदि उन्हें बोर्ड द्वारा अगली बैठक में बहाल नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो, तो वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा निदेशक भी नहीं रहेगा और बोर्ड उसके कारण हुई रिक्ति की पूर्ति के लिए कार्रवाई करेगा ।

(10.13) बोर्ड का निदेशक भी पद धारण नहीं करेगा या बोर्ड के निदेशक के रूप में चुनाव या सह-विकल्प के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा जांच और प्रमाणन पर, वह पाया जाता है: -

क अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए समिति के अपने पद या संपत्ति के दुरुपयोग का दोषी;

ख प्रासंगिक सेवा नियमों और विनियमों के उल्लंघन में सोसाइटी में किसी भी पद पर नियुक्ति करने के लिए जिम्मेदार;

ग जानबूझकर या जानबूझकर बेनामी/फर्जी ऋण स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार

(10.14) बोर्ड के सदस्य में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही निर्वाचित होंगे ।

(10.15) बोर्ड की बैठक का कोरम बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के न्यूनतम एक तिहाई या 5 सदस्यों, जो भी अधिक हो, की उपस्थिति द्वारा बनाए रखा जाएगा । अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित लोगों द्वारा निर्वाचित सदस्य बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा । जब तक इन उपविधियों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाता तब तक बोर्ड की बैठक में बहुमत से सभी मामलों का विनिश्चय किया जाएगा । प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा । मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष के पास अतिरिक्त निर्णायक मत होगा ।

(10.16) बोर्ड अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और आम निकाय के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन समिति के सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, सिवाय उन लोगों को छोड़कर जो विशेष रूप से आम निकाय के लिए आरक्षित हैं, जो समिति द्वारा आम निकाय की बैठक में या उपविधियों में विधिवत

निर्धारित नियमों या प्रतिबंधों के अधीन हैं । विशेष रूप से, निदेशक मंडल के पास निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे :

i) अपने सभी लेन-देन लेनदेनों में अधिनियम/नियम/उपनियमों के अधीन प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करना;

ii) समिति द्वारा प्राप्त सभी धन और किए गए व्यय तथा क्रय और विक्रय किए गये गए सभी स्टॉक के संबंध में सही और सटीक खाते बनाए रखना;

iii) सोसाइटी समिति की आस्तियों और देयताओं का सही लेखा तैयार करना ।

iv) सोसाइटी समिति के कार्यकरण के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जिसके अंतर्गत वार्षिक आम निकाय सामान्य बैठक में प्रस्तुत किए जाने के लिए तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाता लेखा सहित लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करना;

v) संपरीक्षा के लिए अपेक्षित लेखा का विवरण तैयार करना और संबंधित वाउचरों तथा अन्य संबंधित पत्रों को संपरीक्षक के समक्ष रखना;

vi) लेखों की जांच करना, आकस्मिक व्यय स्वीकृत करना और निर्धारित रजिस्टरों का रखरखाव सुनिश्चित करना;

vii) रजिस्ट्रार और वित्तपोषित बैंक के निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना और आवश्यक कार्रवाई करना तथा संबंधित प्राधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना;

viii) नए सदस्यों को प्रवेश देना और शेयर आबंटित करना;

ix) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपविधियों के अनुसार आम निकाय की बैठकें बुलाने के निदेश देना;

x) इन उपनियमों/नियमों/अधिनियमों के अनुरूप सोसाइटी की अधिकतम ऋण लेने की शक्ति निर्धारित करना;

xi) प्रत्येक सदस्य के लिए अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित करना, बशर्ते कि ऐसी सीमा रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा से अधिक न हो;

xii) आम निकाय द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के अधीन ऋण अनुबंध करने के लिए संविदा;

xiii) समय-समय पर आम सभा द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार सदस्यों को ऋण स्वीकृत करना और अग्रिम देना तथा सदस्यों से ऋण और ब्याज की समय पर वसूली सुनिश्चित करना;

xiv) आम सामान्य निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों पर जमा स्वीकार करना और उसके पुनर्भुगतान की व्यवस्था करना;

xv) मत्स्य उपकरणों, बीज, खाद, घरेलू आवश्यकताओं और मात्स्यिकी से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के क्रय और विक्रय की शर्तों को निर्धारित करना और अपने सदस्यों की मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों की बिक्री, विपणन और भंडारण की व्यवस्था करना;

xvi) ऋण उस उद्देश्य के लिए लागू किए गए हैं जिसके लिए उन्हें स्वीकृति दी गई है, की निगरानी करना;

xvii) पुस्तकों और खातों के निरीक्षण और किसी भी व्यक्ति को संपरीक्षा के लिए अधिकृत व्यक्तियों की सहायता करना;

xviii) सोसाइटी समिति को अपने कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समय-समय पर कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों का सृजन करना और उन्हें नियुक्त करना। अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की योग्यता और सेवा की शर्तें सोसाइटी की मानव संसाधन नीति या सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएंगी, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा;

xix) कुशल जनशक्ति/परामर्शदाताओं को अनुबंध आधारित नियुक्त करना ।

xx) सोसाइटी समिति के व्यवसायिक संचालन के लिए उपनियमों जैसे ऋण नीति, जमा नीति, कर्मचारी सेवा नियम आदि के अनुरूप सहायक नियम तैयार करना ।

xxi) रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर बनाए गए और संशोधित सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना । ऐसी कार्रवाई से व्यथित कर्मचारी को रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार या उनके नामांकित व्यक्ति के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को ऐसे आदेश की संसूचना के 20 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार होगा, जैसा कि उसके द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है । अपील अपील के संबंध में निर्णय सोसाइटी समिति र कर्मचारी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

xxii) रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर यथाविहित प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने के लिए कर्मचारियों को कहना और सुरक्षा दस्तावेजों के सत्यापन और सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करना;

xxiii) समिति के किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या किसी अन्य विशेष रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को सोसाइटी या बोर्ड या अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध सोसाइटी के मामलों से संबंधित कानूनी कार्रवाई शुरू करने, संचालित करने, बचाव करने, समझौता करने, मध्यस्थता करने या उसे छोड़ने के लिए प्राधिकृत करना ।

xxiv) समिति की ओर से अन्य सहकारी समितियों में शेयरों का अधिग्रहण करना;

xxv) समिति की पुस्तकों और अभिलेखों, नकदी, उपकरणों, वस्तुओं और स्टॉक की सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करना और इस संबंध में कर्मचारियों की विशिष्ट जिम्मेदारियां निर्धारित करना;

xxvi) उन निबंधनों का निर्धारण करना जिनमें सामान्य प्रयोग के लिए बनाए गए फार्म मशीनरी आदि को सदस्यों को कस्टम हायरिंग सेवाओं के लिए उपलब्ध कराया जाना है;

xxvii) बोर्ड के सदस्यों के त्यागपत्र को स्वीकार करना और यदि अधिनियम नियमों और उपविधियों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार इसकी अवधि की शेष अवधि के लिए निर्वाचन के माध्यम से परिणामी रिक्ति को भरने की व्यवस्था को स्वीकार करना;

xxviii) सोसाइटी समिति की अधिशेष निधि को अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निवेश करना;

xxix) समिति की ओर से संपत्ति का क्रय, विक्रय, किराया या अन्यथा अधिग्रहण या निपटान करना;

xxx) अन्य मंचों और संगठनों में समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों को नामित करना;

xxxi) सोसाइटी समिति की सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित और सौंपे गए अनुसार सोसाइटी के व्यवसाय को आगे बढ़ाना ।

(10.17) निदेशक मंडल समिति की व्यावसायिक कार्यकलापों और आवश्यकता के अनुसार ग्राम समिति, वित्त और संपरीक्षा समिति, भर्ती/चयन/नियुक्ति समिति, युवा/महिला समिति, व्यवसाय/व्यापार संवर्धन और उद्यमिता/औद्योगीकरण समिति, सतत/सामुदायिक विकास समिति आदि जैसी उप-समितियों का गठन कर सकता है और उनकी शक्तियों और कार्यों का भी अभिनिर्धारण कर सकता है । समिति के सदस्यों को दिया जाने वाला शुल्क और भत्ते ऐसे होंगे जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं । उप-समिति में लिए गए सभी निर्णय/संकल्प सुझावात्मक/अनुशंसात्मक प्रकृति के हैं और केवल निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदन के बाद ही कार्रवाई की जाएगी ।

(10.18) सोसाइटी समिति के मामलों के संचालन में, निदेशक मंडल विवेक और उचित परीश्रम का प्रयोग करेगा और अधिनियमों/नियमों/उपविधियों और समिति के घोषित उद्देश्यों के विपरीत कार्यों के माध्यम से हुई किसी भी हानि के लिए जिम्मेदार होगा ।

(10.19) निदेशक मंडल की बैठक में चर्चा या निर्णय लिए गए सभी कार्य को एक कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, जिस पर बैठक के अध्यक्ष, उपस्थित बोर्ड के सदस्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधियों में दी गई समय-सीमा के भीतर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(10.20) बोर्ड की सेवाएं मानद या उपदान होंगी । निदेशकों को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 100 रुपये या उससे अधिक की दर से बैठक शुल्क, महंगाई भत्ता या टीए का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है और समिति के आम सामान्य निकाय में अनुमोदित किया जा सकता है ।

11. अध्यक्ष और उनकी शक्तियां:

(11.1) अध्यक्ष का निर्वाचन निदेशक मंडल के सदस्यों में से किया जाएगा।

(11.2) अध्यक्ष बोर्ड की ओर से समिति के प्रशासन, व्यवसाय और कार्यों पर सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा।

(11.3) अध्यक्ष बोर्ड द्वारा उसे सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करेगा और बोर्ड के अनुमोदन के अधीन या किसी आपात स्थिति में अपनी शक्तियों और कर्त्तव्यों में से किसी को उपाध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में किसी निदेशक को निश्चित अवधि के लिए सौंप सकता है और इस प्रकार सौंपी गई शक्तियों को वापस भी ले सकता है ।

(11.4) अध्यक्ष को समिति के किसी अभिलेख या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कोई रिपोर्ट मांगने की शक्ति होगी जहाँ अधिनियम/नियमों/उपविधियों के उपबंधों के अनुसार समिति के मामलों को प्रबंधित किया जा रहा है ।

(11.5) अध्यक्ष बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में दिए गए किसी आदेश या निर्णय का उल्लंघन नहीं करेगा।

(11.6) अध्यक्ष आम सामान्य निकाय और निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग तभी करेगा जब मतों की संख्या बराबर हो।

12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी – कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

(12.1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाए, निदेशक मंडल द्वारा अधिनियम/नियमों/उपविधियों के अनुसार समिति के दिन-प्रतिदिन के मामलों और प्रशासन की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाएगा । उसके पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता, अनुभव और प्रशिक्षण होना चाहिए जैसा कि समिति के रजिस्ट्रार द्वारा तय किया गया है ।

(12.2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा:

क बोर्ड के निर्देशानुसार, आम निकाय और निदेशक मंडल की बैठक समय पर बुलाना;

ख बोर्ड और आम निकाय की सभी बैठकों में उपस्थित रहना और ऐसी बैठकों में आवश्यक सभी प्रासंगिक कागजात, दस्तावेज प्रस्तुत करना और अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करना;

ग बैठक के कार्यवाही को मिनट बुक में रिकॉर्ड करना और की गई कार्यवाही को दर्ज करना;

घ समिति की ओर से भुगतान करना और सभी धन प्राप्त करना तथा बोर्ड के निदेश के अनुसार रसीद जारी करना;

ङ सभी लेखा पुस्तकों और रजिस्टरों को नियमों के अनुसार बनाए रखना और सुरक्षित रखना;

च बोर्ड द्वारा निर्देशित शर्तों के अध्यधीन बैंक खाता संचालित करना;

छ ऋण और अग्रिम के संबंध में मांग, संग्रह शेष का विवरण तैयार करना;

ज समिति के वित्तीय लेन-देनों के लिए रसीदें, वाउचर आदि तैयार करना;

झ सोसाइटी समिति की ओर से पत्राचार करना और सदस्यों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना;

ञ समिति के अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण बनाए रखना;

ट उपविधियों के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष के साथ चेक और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना;

ठ बोर्ड द्वारा प्रदत्त मंजूरी सीमा के अनुसार सोसाइटी के लिए धन व्यय करना ;

ड बोर्ड के निर्देशों के अनुसार कार्य करना ;

ढ प्रधान कार्यालय और शाखाओं में नकद शेष को दोहरी ताला प्रणाली के साथ सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना ;

ण व्यापार, कार्यान्वयनों और उत्पादों के लिए चल वस्तुओं के अभिलेखों को उनकी अभिरक्षा अथवा अन्य अधिकारी की अभिरक्षा में रखना जो निदेशक मंडल द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है ;

त बोर्ड की अनुमति से समिति के लिए करार करना;

थ उधारकर्ता के साथ उचित बंधक का निष्पादन करना और ऋणों को समाप्त करने के बाद उसे जारी करना ;

द बोर्ड के निर्देशानुसार किसी कार्य या समनुदेशन को निष्पादित/निष्पादन; करना

ध दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों का संचालन ।

अध्याय VI

आंतरिक नियंत्रण

13. लेखांकन बही-खाते और रजिस्टरों का अनुरक्षण

(13.1) समिति द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों और बही-खातों का अनुरक्षण किया जाएगा:

क) वित्तीय विवरणी से संबंधित बही-खाते

i) रोकड़ बही

ii) बैंक बही

iii) रोजनामचा (Day book)

iv) साधारण बही

v) सहायक बही

vi) शेयर पूंजी बही

vii) जमा बही – बचत बैंक, मियादी जमा (Fixed Deposits), आवर्ती जमा, पुनर्निवेश जमा

viii) उधार बही – अल्पकालिक, मध्यमकालिक

ix) सदस्य ऋण बही – अल्पकालिक, मध्यमकालिक (कृषि और गैर-कृषि)

x) विविध ऋणदाता बही (Sundry creditor ledger)

xi) फर्नीचर, फिक्स्चर और कार्यालय उपस्कर रजिस्टर

xii) भूमि और भवन रजिस्टर

xiii) अवमूल्यन चार्ट रजिस्टर

xiv) स्टॉक रजिस्टर

xv) क्रय रजिस्टर

xvi) विक्रय रजिस्टर

xvii) सेफ डिपोजिट लॉकर प्रचालन रजिस्टर

xviii) स्वर्ण ऋण बही

xix) विविध ऋणकर्ता बही (Sundry Debtors ledger)

xx) उचंत आस्ति बही (Suspense asset ledger)

xxi) उचंत देयता बही (Suspense liability ledger)

xxii) लाभांश रजिस्टर

ख) बही-खाते जो वित्तीय विवरणी से संबंधित नहीं हैं

i) समितियों की उपविधियों की प्रतिलिपि

ii) राज्य के अधिनियम और नियमों के साथ उनमें अंतर्विष्ट किए गए अद्यतन संशोधन

iii) समिति द्वारा किए जा रहे कारबार के अन्य कानून और विनियमों की प्रतिलिपियां

iv) सदस्यता रजिस्टर

v) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर तैयार चालू वर्ष के लिए मताधिकार वाले सभी सदस्यों की अद्यतन सूची

vi) समिति द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं के सदस्यवार संरक्षण को दर्शाने वाला रजिस्टर

vii) कार्यवृत्त पुस्तिका

viii) खाता खोलने और बंद करने का रजिस्टर

ix) सावधि जमा की परिपक्वता का बकाया देयता रजिस्टर

x) मासिक ब्याज भुगतान रजिस्टर

xi) बीमा नीति और नवीनीकरण रजिस्टर

xii) स्वर्ण स्टॉक रजिस्टर

xiii) उधार पावती रजिस्टर

xiv) तुलन रजिस्टर

xv) अप्रचालनात्मक जमा खाता रजिस्टर

xvi) उधार लेने की देय तिथि रजिस्टर

xvii) निवेश और परिपक्वता रजिस्टर

xviii) गिरवी स्टॉक रजिस्टर

xix) दायर वाद रजिस्टर

xx) DCB रजिस्टर

xxi) अतिदेय/NPA रजिस्टर

xxii) संपरीक्षण रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट या निरीक्षण रिपोर्ट तथा उनके अनुपालन की प्रतिलिपियां

xxiii) सदस्यों की भूमि रिकॉर्ड रजिस्टर

xxiv) स्टाफ की उपस्थिति रजिस्टर

xxv) स्टाफ सेवा नियमावली

(13.2) समिति के बही-खाते, अभिलेखों और रजिस्टरों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुपस्थिति में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगे।

(13.3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुपस्थिति में बोर्ड द्वारा समिति के अधिकारी को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जो:

i) लेखांकन बही-खाते का अनुरक्षण करेगा;

ii) नकद और भंडार का अभिरक्षण रखेगा;

iii) अन्य बही-खाते और रजिस्टरों को रखेगा; और

iv) विवरणियों और वित्तीय विवरणी तैयार करेगा ।

v) परंतु लेखांकन अनुरक्षित करने वाले व्यक्ति नकद का प्रभारी नहीं होगा ।

(13.4) बही-खाते एवं लेखांकन तथा अन्य अभिलेखों को समिति के कारबार के समय निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध रखा जाएगा ।

(13.5) राज्य के अधिनियम और नियमों, उपविधियों, आम निकाय की बैठकों से संबंधित कार्यवृत्त पुस्तिका; संपरीक्षण, जांच या निरीक्षण रिपोर्ट और उनके अनुपालन रिपोर्ट, मतदान सूची की प्रतिलिपियां निदेशक मंडल द्वारा यथानिर्धारित शुल्क पर समिति के कारबार के समय किसी भी सदस्य के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

(13.6) सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार समिति, ऐसे लेखांकन और लेखांकन से संबंधित अन्य विषयों को ऐसे स्वरूप और रीति से अनुरक्षित करेगा ।

(13.7) समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाअपेक्षित ऐसे रिटर्न्स और विवरणियां तैयार और प्रस्तुत करेगा ।

(13.8) समिति, पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना में कार्यान्वित की जा रही है नाबार्ड द्वारा अभिकल्पित कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम का प्रयोग करेगी ।

14. समिति का संपरीक्षण

(14.1) राज्य सहकारी अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षण के उद्देश्य से नियुक्त संपरीक्षक द्वारा समति का प्रत्येक वर्ष संपरीक्षण किया जाएगा ।

(14.2) संपरीक्षण पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर समिति के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता हस्ताक्षर करने के उपरांत समिति, संपरीक्षण के लिए आवश्यक लेखा विवरणी तैयार करेगी और उसे संपरीक्षक या संपरीक्षण प्रतिष्ठान, जो भी मामला हो, के समक्ष रखेगी । संपरीक्षक, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर संपरीक्षण पूरा करेगा और संपरीक्षण रिपोर्ट की तारीख से 3 माह के भीतर संपरीक्षण सुधार रिपोर्ट पंजीयक को प्रस्तुत किया जाएगा।

(14.3) समिति के कारबार के टर्नओवर या मात्रा के आधार पर निदेश मंडल या पंजीयक एक विशेष संपरीक्षण/आंतरिक संपरीक्षक नियुक्त कर सकता है । आंतरिक संपरीक्षक स्टाफ में से हो सकता है या उसे समिति की निधि और लेखा प्रबंधन के नियमित आंतरिक नियंत्रण और निगरानी के लिए आउटसोर्स किया जा सकता है ।

(14.4) समिति द्वारा ऐसे संपरीक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा जिसका निर्धारण ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा ।

अध्याय VII

समिति की संरचना में बदलाव

15. देयता में बदलाव, आस्त्यिों और देयता का हस्तांतरण, विभाजन, समामेलन:

15.1 समिति, अपनी साधारण निकाय के एक संकल्प द्वारा,

क अपनी देयता का स्वरूप या सीमा को परिवर्तित करने के लिए अपनी उपविधियों को संशोधित करने का निर्णय लेगी;

ख अपनी आस्तियों और देनदारियों कोकिसी अन्य सहकारी समिति जो अपनी साधारण निकाय के संकल्प द्वारा ऐसे हस्तांतरण के लिए सहमत हों, को पूर्ण या आंशिक रूप से हस्तांतरित करने का निर्णय लेगी;

ग स्वयं को दो या दो से अधिक सहकारी समितियों में विभाजित कर सकेगी;

घ अन्य समान सहकारी समिति के साथ स्वयं का विलयन कर सकेगी ।

15.2 कोई भी दो या दो से अधिक समितियां, अपनी संबंधित साधारण निकायों के संकल्पों द्वारा अपने को समामेलित करने और एक नई समिति की स्थापना करने का निर्णय ले सकेगी ।

15.3 समिति के किसी सदस्य के निष्काषन को छोड़कर समिति का प्रत्येक संकल्प, उसके साधारण निकाय की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा और ऐसे संकल्प में देयता, हस्तांतरण, विभाजन और समामेलन, जो भी मामला हो, के सभी विवरण शामिल किए जाएंगे।

15.4 समिति, संकल्प की प्रतिलिपि के साथ लिखित में अपने सभी सदस्यों और परिसंघों को, जिससे वह संबद्ध है, और ऋणदाताओं को नोटिस देगा जो अपनी सहमति दे सकेंगे । किसी उपविधि या संविदा के अन्यथा होते हुए भी संकल्प से सहमत न होने वाले किसी सदस्य, परिसंघ या ऋणदाता को, नोटिस तामील होने के एक माह की अवधि के दौरान अपने शेयरों, जमाराशियों, ऋणों या सेवाओं, जो भी मामला हो, को वापस लेने का विकल्प होगा।

15.5 कोई भी सदस्य, परिसंघ या ऋणदाता जो विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, उसे संकल्प से सहमत होना माना जाएगा ।

15.6 समिति द्वारा पारित संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि,

क) (i) अधिनियम और नियमों के अधीन संकल्प से सदस्यों, परिसंघों और ऋणदाताओं ने सहमति न दे दी हो या सहमत होना न माना गया हो, या

(ii) सदस्यों, परिसंघों और ऋणदाताओं जिन्होंने अधिनियम या नियमों के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान अपने विकल्प का प्रयोग किया है, के सभी दावे पूरे हो गए हों या अन्यथा संतुष्ट हो; और

क. (i|) देयता में परिवर्तन की दशा में संबंधित समिति की उपविधियों का संशोधन पंजीकृत हो या पंजीकृत माना गया हो; या

(ii) विभाजन और समामेलन की दशा में समिति या समितियों के पंजीकरण के प्रमाणपत्र सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा जारी किए गए हों ।

15.7 जब समिति द्वारा पारित कोई संकल्प प्रभावी हो, तो वह हस्तांतरिती में आस्तियों और देनदारियों के निहित होने का पर्याप्त संप्रेषण होगा ।

15.8 समिति का पंजीकरण रद्द माना जाएगा और समिति को विघटित माना जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा:

क) जब ऐसी समिति की संपूर्ण आस्तियों और देनदारियों को किसी अन्य समिति में हस्तांतरित किया गया हो; अथवा

ख) जब ऐसी समिति स्वयं को दो या इससे अधिक समितियों में विभाजित कर दे ।

15.9 जहां दो या अधिक समितियां समामेलित होकर एक नई समिति स्थापित करती हों, तो समामेलित होने वाली समितियों का पंजीकरण रद्द हो जाएगा और वे विघटित माने जाएंगे और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ।

16 सहायक समनुषंगी संगठन का संवर्धन:

16.1 अपने उल्लिखित उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समिति,समिति अपने उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने साधारण सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, FFPO (मत्स्य किसान उत्पादन संगठन) जैसे समनुषंगी संगठनों को समिति के 100% वित्तपोषण से संवर्धन करेगी और ऐसे संगठनों को साधारण सामान्य निकाय के यथाअनुमोदन से तत्कालीन लागू किसी कानून के अधीन पंजीकृत किया जा सकेगा ।

16.2 समिति, सहायक समनुषंगीसंगठन में कुल चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधि में 100% अभिदान के माध्यम से निवेश कर सकेगी ।

16.3 कोई भी सहायक समनुषंगी संगठन तब तक ही अस्तित्व में रहेगा जब तक कि समिति के साधारण निकाय द्वारा इसके अस्तित्व को अनिवार्य माना जाए ।

16.4 सहायक समनुषंगी संगठन को निम्नलिखित रीति से विघटित या परिसमाप्त किया जा सकता है:

क) साधारण सामान्य निकाय में उपस्थित न्यूनतम 50% सदस्यों में से इसके पक्ष में 2/3 सदस्यों द्वारा मतदान करने के पश्चात्, अथवा

ख) सदस्यों या व्यापक रूप से जनता के हित में सहायक समनुषंगी संगठन को परिसमाप्त करने के लिए पंजीयक के निदेशानुसार ।

16.5 ऐसे किसी भी सहायक समनुषंगी संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा प्रत्येक वर्ष समिति की साधारण निकाय की बैठक में रखा जाएगा।

16.6 समिति, सभी निवेशों के ब्योरे से संबंधित एक रजिस्टर का अनुरक्षण करेगी जिसमें उन समितियों/कंपनियों के नाम उल्लिखित होंगे जिनके शेयर अधिग्रहित किए गए हैं, शेयरों की संख्या और मूल्य; अधिग्रहण की तारीख; और इनमें से तदोपरांत निस्तारित किए गए किन्हीं शेयरों के निस्तारण की रीति और मूल्य।

16.7 उपखंड (6) मे संदर्भित रजिस्टर को समिति के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और जो किसी कोई भी भी सदस्य द्वारा उसके उसका निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा कर पाएगा जो और उससे उद्धरण ले सकेगा।

अध्याय VIII समिति के विवाद

17. विवाद निपटान प्रक्रिया

समिति के सदस्यों, पूर्व सदस्यों और मृतक सदस्यों या अन्य व्यक्तियों के बीच समिति के गठन, कारबार और प्रबंधन से संबंधित किसी विवाद को सहकारी सोसाइटी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के संगत उपबंधों के अनुसरण में निस्तारण किया जाएगा और ऐसे अधिनियम और नियमों के अधीन निर्दिष्ट रीति से निपटान किया जाएगा ।

अध्याय IX समिति का परिसमापन

18. परिसमापन

(17.1) समिति को अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में भंग या परिसमाप्त किया जा सकता है।

(17.2) समिति के भंग होने की दशा में सभी बाह्य देयताओं को पूरा करने के पश्चात किसी शेष निधि को, ऐसे सदस्यों को उनकी शेयर राशि के अनुपात में संवितरित किया जाएगा, जो सदस्य-राशि के निपटान की तारीख तक चूककर्ता नहीं हैं ।

(17.3) शेष आरक्षित निधि या अधिशेष राशि जिसे किसी भी कारणवश सदस्यों के साथ अंततः साझा में बांटा नहीं जा सकता हो, उसे राज्य सरकार/पंजीयक द्वारा यथानिर्दिष्ट सहकारी विकास निधि या सहकारी शिक्षा निधि में दान कर दिया जाएगा ।

अध्याय X विविध

19. विविध

(18.1) यदि समिति किसी सहकारी केंद्रीय वित्तपोषण संस्था की ऋणी है, तो उस संस्था के प्रतिनिधि को समिति की बही-खातों और अभिलेखों की जांच करने का अधिकार होगा और समिति का बोर्ड ऐसे प्रतिनिधियों के समक्ष बही-खातों और अभिलेखों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा ।

(18.2) यदि किसी उपविधि की व्याख्या के संदर्भ में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो इसे पंजीयक को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अधिनियम और नियमों के अनुसरण में अंतिम होगा ।

(18.3) इस समिति की उपविधियों की अधिनियम और नियमों के बीच किसी भी प्रकार के विरोधाभास या असंगति की दशा में अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों का अधिभावी प्रभाव होगा ।

*****